उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 211 वीं बैठक दिनॉक 17 नवम्बर,2009 का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया।

1.	श्रीयुत हरमिन्दर राज सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0शासन।	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक कुमार	आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एव विकास परिषद।	सदस्य
3.	श्री विमल प्रकाश	विशेष सचिव,वित्त,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,वित्त उ0प्र0शासन।	सदस्य
4.	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,निदेशालय,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ0प्र0शासन।	सदस्य
5.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,उ0प्र0।	सदस्य
6.	श्री यू0के0गुप्ता	वित्त नियंत्रक,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
7.	श्री एस0एन0राम	मुख्य अभियन्ता,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
8.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य वास्तुविद नियोजक,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
		विशेष आमंत्रित सदस्य	
9.	श्री एस0एन0त्रिपाठी	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण,प्रतिनिधि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण।	

बोर्ड बैठक के मध्य प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ0प्र0शासन की प्रतिनिधि सुश्री नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा प्रमुख सचिव,सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0शासन का अर्धशासकीय पत्र माननीय अध्यक्ष जी व आवास आयुक्त को दिया गया। अर्द्धशासकीय पत्र में **मद संख्या–3** में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनॉक 16.10.2009 के प्राविधानों के अनुसार परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतनमान स्वीकृत किये जाने व **मद संख्या–5** सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु श्री उमेश चन्द्र सिंह को नानफील्ड जाब के निर्धारित 02 वर्ष के अनुभव से छूट प्रदान किये जाने, **मद संख्या–6** आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने हेतु आवंटियों को भुगतान प्रकिया सरल बनाने, **मद संख्या–9** कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में तथा **मद संख्या– 10** जनपद गाजियाबाद में आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर के निर्धारण के बिन्दु उठाए गये हैं।

परिषद बोर्ड बैठक में उपरोक्त मदों के साथ–साथ अन्य मदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त बोर्ड में जो मत स्थिर किये गये उनका समावेश सम्बन्धित मदों में करते हुए निम्न निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
211/1	परिषद की 210वी बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
211/2	परिषद की 210वी बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2009 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

11/3	वेतन समिति (2008) के सातवे प्रतिवेदन की संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विभिन्न श्रेणी के कार्मिको को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड एवं ग्रेडवेतन तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रमुख सचिव,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उ0प्र0 शासन द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन तात्कालिक प्रभाव से करते हुए आनेवाले व्यय भार को आकलन करने का बिन्दु उठाया गया है। परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद,शासनादेश में दी गयी सभी शर्ते पूरी करता है इसलिए यहॉ के कार्मिकों को दिनॉक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग,का लाभ दिया जाना चाहिए। चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया इसे शासन को भेज दिया जाए।
211/4	श्री पी0डी0मिश्रा,सहायक लेखाधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
211/5	सहायक अभियंताओ की पदोन्नति हेतु अनिवार्य 02वर्ष के "नानफील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु श्री उमेश चन्द्र सिंह को नानफील्ड जाब के निर्धारित दो वर्ष के अनुभव से छूट दिए जाने पर चर्चा की गयी। चर्चा में यह पाया गया कि इसमें कार्मिक की कोई गलती नहीं है और कार्मिक वरिष्ठता में भी आता है यदि इस आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जाती है तो कार्मिक मा0 न्यायालय की शरण ले सकता है। नानफील्ड जाब में पोस्टिंग किया जाना परिषद प्रशासन का काम है। अंत में निर्णय लिया गया कि श्री उमेश चन्द्र सिंह को प्रोन्नति के पश्चात् नानफील्ड जाब

		में तैनात कर दिया जाए। परिषद इनसे अन्य कार्य लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

211/6	विश्व में आई आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने के सम्बन्ध में ।	आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने हेतु आवंटियों को भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई। सभी 09 प्रकरण वसुन्धरा योजना गाजियाबाद की परिषद योजना के हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य योजना अथवा शहर के प्रकरण परिषद के पास लम्बित नहीं हैं। भविष्य में अगर ऐसे प्रकरण आते हैं तो उन्हें मा0 परिषद बोर्ड के सम्मुख तत्समय रखा जाएगा। चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
211/7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना में शिक्षण संस्थाओ के भूखंडो हेतु पंजीकरण विषयक नियमावली में संशोधन।	प्रस्ताव निम्न शर्तो के साथ अनुमोदित किया गया। 1 स्कूल भूखण्डो हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार (समाचार पत्र नोटिस बोर्ड,बेवसाइट) के पश्चात आवेदन पत्र आनलाइन तथा सीधे सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ प्राप्त किये जाये। 2 आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेखो की सूची भी समाचार पत्र में नोटिस बोर्ड, बेवसाइट पर जनसामान्य के लिए प्रकाशित करायी जाये। 3. आवेदन पत्र के लिए Non refundable शुल्क लिया जाये। 4 प्रार्थना–पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराये जायें। 5 स्कूटनी व चयन के मापदण्ड पारदर्शी हो।

		6 आवेदन पत्र में किसी अभिलेख की कमी होने की दशा में अभिलेख पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाये।
/8	मा0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उ0प्र0 की संस्तुति के क्रम में संजय बिहार योजना संख्या–2 हापुड़ स्थित लगभग 2200 वर्गमी0 भूमि आवंटन किए जाने के सम्बंध में।	प्रस्ताव का विधिक रूप से पुनः परीक्षण करा लिया जाय।

अभियंत्रण अनुभाग

1/9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यप्रभारित कर्मियो के पारिश्रमिक आदि के भुगतान हेतु फण्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	परिषद में कार्यरत कार्यप्रभारित कार्मिकों के वेतन/पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों पर विस्तार से चर्चा की गयी। मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत 69100 भवन परिषद द्वारा 50 जनपदों में 224 पाकेटों में निर्मित किये जा रहे है, इसकी लागत रू0 1209.25 करोड़ है। परिषद में 1960 कार्य प्रभारित एवं मस्टर रोल कार्मिक कार्यरत है। कार्यप्रभारित कार्मिकों के वेतन/पारिश्रमिक पर लगभग रूपया 14.75 करोड़ वार्षिक व्यय भार आ रहा है। इस योजना से परिषद को न तो सेन्टेज मिल रहा है और न ही आगणन में किसी प्रकार की कन्टीजेंसी की व्यवस्था है। यदि इस योजना में कन्टीजेन्सी (2.5प्रतिशत)प्राप्त होती तो परिषद को लगभग 29.04करोड़ की आय प्राप्ति होती, जो कि इनके वेतन/पारिश्रमिक भुगतान के लिए पर्याप्त होता। कार्य प्रभारित कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक दिया जाना परिषद का दायित्व है। चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव दिनॉक 31.03.2010 तक के लिए

		अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही परिषद अपना कार्य बढ़ाए,जिससे कि भविष्यमें वेतन/पारिश्रमिक के भुगतान में कोई समस्या न हो।

भूमि अर्जन अनुभाग

211/10	जनपद गाजियाबाद में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना के लिये अर्जित की जा रही 1058.061 हेक्टेअर भूमि को करार नियमावली–1997 के अन्तर्गत आपसी समझौते से लिये जाने हेतु प्रतिकर की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	जनपद गाजियाबाद में परिषद की दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के लिए अर्जित की जा रही 1058.61 हेक्टेयर भूमि को करार नियमावली–1997के अन्तर्गत आपसी समझौते से लिए जाने हेतु प्रतिकर की दर शासनादेश ख्या–706/77–3–2008–143एन/2004 दिनॉक 23.04.2008 के अन्तर्गत मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल,मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनॉक 06.0709 द्वारा प्रतिकर की अधिकतम दर रूपया 1100.00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी है। बोर्ड द्वारा मात्र मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल,मेरठ द्वारा निर्धारित दर को अनुमोदित किया जाना है। विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
211/11	सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम ककरेठा खसरा संख्या–950 की 773 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में।	यदि विस्थापित है तो विस्थापितों की भांति एक भूखण्ड वर्तमान दरों पर दिये जाने पर विचार कर लिया जायें।
211/12	आगरा फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 पर प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–4 फिरोजाबाद की धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

211/13	आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5136/8–3–2008–11/विविध/08 दिनांक 25.09.2008 के अनुपालन में षष्टम वृत्त आगरा के अधीन योजनाओ में निर्मित, विकसित व नये/अविकसित क्षेत्रो के चिन्हीकरण पश्चात क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य किए जाने के सम्बंध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि आवास आयुक्त अधिसूचना संख्या 5136/8–3–2008–11/विविध/08 दिनांक 25.9.2008 में दिये गये प्राविधानों तथा परिषद के नियमों/विनियमों के अनुसार कार्यवाही करें।
211/14	बढ़पुर भूमि विकास एंव गृह स्थान योजना जिला फतेहगढ़ का भू उपयोग व्यावसायिक से आवासीय में परिवर्तन।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि इससे परिषद को कोई वित्तीय क्षति न हो।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

211/15	आवंटित स्कूल भूखण्डों पर आरोपित अनिर्माण शुल्क के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
211/16	आयकर अधिनियम–1961 की धारा–10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वॉछित फार्म–10 दाखिल किए जाने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसके लिए परिषद के वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया गया।
211/17	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	–

(मिश्री लाल पासवान)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(दीपक कुमार)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी
अध्यक्ष